भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3247
12 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का उन्नयन

†**3247. डॉ. विनोद कुमार बिंदः**
श्री पी. पी. चौधरी:
डॉ. मन्ना लाल रावतः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री जगदम्बिका पालः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री बिद्युत बरन महतोः
डॉ. राजेश मिश्राः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री मनोज तिवारीः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री शशांक मणिः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री नलिन सोरेनः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री अभिमन्यु मेठीः
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री बलभद्र माझीः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री राजकुमार चाहरः
श्री जुगल किशोरः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का उन्नयन किया गया है और विशेषकर ओडिशा में नबरंगपुर लोक सभा क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर सहित राजस्थान के पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले, मध्य प्रदेश के शहडोल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात के साबरकांठा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में किया गया संचयी निवेश कितना है;

(ख) ओडिशा में नबरंगपुर के विशेष संदर्भ में महिलाओं, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और आकांक्षी जिलों की भागीदारी सहित स्वीकृत इकाइयों का क्षेत्र-वार वितरण क्या है;

(ग) स्वीकृत सामान्य अवसंरचना सुविधाओं और इन्क्यूबेशन केन्द्रों की संचालन स्थिति और उपयोग का स्तर क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत विशेषकर ओडिशा के नबरंगपुर और राजस्थान में पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में लाभार्थी उद्यमों के लिए रोजगार सृजन, कारोबार में वृद्धि और सृजित बाजार संपर्क के संदर्भ में क्या स्पष्ट परिणाम प्राप्त हुए;

(ङ) नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र में जलगांव पर विशेष ध्यान सहित कार्यान्वयन की शेष अवधि के दौरान पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत ऋण प्रवाह, ब्रांडिंग सपोर्ट और निर्यात के बढ़ाने के लिए रोडमैप क्या है; और

(च) सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत, योजना के प्रारंभ से दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक 59,202 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण किया गया है । राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र वार औपचारिकीकरण किए गए सूक्ष्म उद्यमों की संख्या का विवरण **अनुबंध I** में दिया गया है। राजस्थान में पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले, मध्य प्रदेश में शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में साबरकांठा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखंड, ओडिशा में नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सहित देश भर में इस योजना के तहत कुल मिलाकर 17015.8 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया गया है।

(ख): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक 75,456 महिला सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, 1427 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), 270 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और आकांक्षी जिलों में 24,445 ऋणों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
ओडिशा में नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, 49 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 21 महिला सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों और 6 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

(ग): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक, सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के लिए 108 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 88 ऋण वितरित किए जा चुके हैं और 59 सुविधाएं प्रचालनरत हैं। इनक्यूबेशन केन्द्रों के लिए, 24 राज्यों / संघ-राज्य क्षेत्रों से 76 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 23 इनक्यूबेशन केंद्र शुरू हो चुके हैं।

(घ): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक 5,18,121 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं, जिनमें से ओडिशा के नबरंगपुर और पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमशः 147 और 393 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं। यह योजना सीमित बाजार पहुंच सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उनके उत्पादों की दृश्यता और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इसकी ब्रांडिंग और विपणन सहायता के माध्यम से अनुदान सहायता प्रदान करती है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के विपणन को सुविधाजनक बनाने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी किया गया है।

(ङ): योजना के अंतर्गत मंत्रालय नियमित रूप से देश में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए लेंडिंग बैंकों और राज्य सरकार के साथ बैठक करता है, जिसमें नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र में जलगांव भी शामिल हैं। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) स्तर पर और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठकों में भी उठाया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा राज्य और जिला स्तर पर समय-समय पर समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। मंत्रालय देश भर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण में भागीदारी के माध्यम से बाजार पहुंच को भी सुगम बना रहा है।

(च): दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक, सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, 343 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 398 स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए 130.32 करोड़ रुपये की राशि के लिए प्रारंभिक पूंजी स्वीकृत की गई है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का उन्नयन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3247 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत राज्य-वार उद्यम औपचारिकीकरण

क्र. सं.	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र**	**उद्यमों का औपचारिकीकरण**
1	आंध्र प्रदेश	2215
2	अरुणाचल प्रदेश	51
3	असम	1986
4	बिहार	4938
5	छत्तीसगढ	445
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	4
7	दिल्ली	280
8	गोवा	103
9	गुजरात	5
10	हरियाणा	507
11	हिमाचल प्रदेश	325
12	जम्मू और कश्मीर	389
13	झारखंड	484
14	कर्नाटक	3507
15	केरल	5139
16	लद्दाख	25
17	मध्य प्रदेश	5721
18	महाराष्ट्र	13722
19	मणिपुर	54
20	मेघालय	147
21	मिजोरम	5
22	नागालैंड	73
23	उड़ीसा	1126
24	पुद्दुचेरी	93
25	पंजाब	1888
26	राजस्थान	417
27	सिक्किम	3
28	तमिलनाडु	8350
29	तेलंगाना	2559
31	त्रिपुरा	132
32	उत्तर प्रदेश	3650
33	उत्तराखंड	790
34	पश्चिम बंगाल	69
	कुल	**59202**

अनुबंध-II

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए "पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का उन्नयन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3247 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत जुटाई गई निवेश राशि

क्र. सं.	**राज्य / जिला**	**जुटाया गया निवेश (करोड़ रु. में)**
1	पाली	6.08
2	जोधपुर	21.19
3	सिद्धार्थनगर	31.28
4	शाहडोल	17.98
5	अन्नुपुर	5.55
6	उमरिया	6.86
7	साबरकांठा	16.91
8	झारखंड	300.60
9	उड़ीसा	306.79
10	नबरंगपुर	1.75
11	मलकानगिरी	3.65
12	जम्मू और कश्मीर	126.71